

झारखण्ड विधान सभा



बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली
(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली
(झारखण्ड-संशोधन), विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

धारा ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम - 1914 की धारा-3(3) में संशोधन ।

बिहार और उड़ीसा लोक माँग (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015
[सभा द्वारा यथापारित]

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को 66 वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ :-

- i. यह अधिनियम बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायगा।
- ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- iii. यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा- 3(3) में संशोधन :-

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में "सर्टिफिकेट ऑफिसर" को निम्नांकित रूप से परिभाषित कर प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"सर्टिफिकेट अफसर का तात्पर्य, समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी और इस अधिनियम के अधीन सर्टिफिकेट ऑफिसर का कार्य सम्पादित करने के लिए आयुक्त की मंजूरी से समाहर्ता द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी, जो राज्य सरकार में कार्यरत या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से सेवा निवृत्त पदाधिकारी, जिसकी आयु 65 वर्षों से कम हो"।

यह विधेयक बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।